उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' मसूरी बाईपास, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135-26629713/फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.)-03/2012टी.सी. दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली-2010, शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2015 तथा शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्रावधानानुसार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द्र भट्ट को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ सहायक वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5, वेतनमान ₹29200-92300 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत की शिथिलता एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कार्मिक को पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिए अनुमन्य होगी तथा इन्हें पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का उक्त लाभ पुनः अनुमन्य नहीं होगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 1339 (1)/सू.एवं लो.सं.वि.(प्रशा.)-03/2012टी.सी., तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागीय अधिकारी।
2. संबंधित कर्मचारियों को।
3. संबंधित कर्मचारियों की निजी पत्रावली हेतु हेतु।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–73ई दिनांक 24 अगस्त, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के फोटो/फिल्म अधिकारी, श्री केवल सिंह, जो दिनांक 01 फरवरी, 2019 से फोटो/फिल्म अधिकारी, लेवल–7, वेतनमान ₹44900–142400 के पद पर प्रोन्नत हैं, की उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष तक की सेवाओं की गणना परिवीक्षा अवधि के लिए की गयी और पाया गया कि इस अवधि में श्री केवल सिंह का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा। अतः उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली–2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री केवल सिंह को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से फोटो/फिल्म अधिकारी के पद पर एतदद्वारा स्थायी घोषित किया जाता है।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 823 (1)/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–73ई, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संबंधित कार्मिक को।
3. विभागीय वेबसाइट हेतु।

19/8/2021

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971/फैक्स: 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005 दिनांक 07 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 54, दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित श्री सुन्दर, (अनुक्रमांक–1225000090, अनुसूचित जाति) पुत्र श्री राम लाल, ग्राम–तेलपुर, पो.ओ. विहारीगढ़, हरिद्वार को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद, लेवल–5, ₹29200–92300 (पूर्व वेतनमान ₹5200–20200, ग्रेड वेतन ₹2800) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
    1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
    2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
    3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
    4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।
    5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
    6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
    7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
    8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
    9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
    10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

–––क्रमशःपृष्ठ–2/-

संबंधित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उसे नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 587(1) सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को उनके पत्र संख्याः 54 दिनांक 25.03.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कोषाधिकारी, चम्पावत को जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत के माध्यम से।
6. जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर तद्संबंधी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी को।
8. संबंधित अभ्यर्थी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

7/7/21

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in
दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–39 / 2001

दिनांक 07 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

श्री प्रभात कुमार पुत्र स्व. मदमहेश्वर प्रसाद शुक्ला तत्कालीन अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी, हाल निवासः ग्राम–फेगू, पो.ओ.–नागजगई, जिला–रूद्रप्रयाग को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

2. पूर्व में निर्गत उनकी नियुक्ति विषयक कार्यालय आदेश संख्याः 566 / सू.एवलो.स.वि.(प्रशा.)–39 / 2001, दिनांक 05 जुलाई, 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या586 (1) / सू.एवं.लो.सं.वि.(प्रशा.)–39 / 2001, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. श्री प्रभात कुमार, पुत्र स्व. मदमहेश्वर प्रसाद शुक्ला, ग्राम–फेगू, पो.ओ. नागजगई, जिला–रूद्रपयाग।
5. विभगीय वेबसाइट हेतु

7/7/2021

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in
दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 566 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–39 / 2001

दिनांक 05 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002)(संशोधन) नियमावली, 2010 तथा संशोधन नियमावली, 2019 के अन्तर्गत श्री प्रभात कुमार पुत्र स्व. मदमहेश्वर प्रसाद शुक्ला तत्कालीन अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी, हाल निवासः ग्राम–फेगू, पो.ओ.–नागजगई, जिला–रूद्रप्रयाग को मृतक आश्रित के रूप में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, के अधीन जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर लेवल–3, वेतनमान ₹21700–69100 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षण में रखते हुए निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
2. श्री प्रभात कुमार को शासन द्वारा समय–समय पर देय महंगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
3. यह नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित रहेगी।
4. श्री प्रभात कुमार मृत आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के प्रस्तर–5(3)के अनुसार ''मृत सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेंगे, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व आश्रित थे''
5. श्री प्रभात कुमार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र / प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
   (अ) अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   (ब) दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
   (स) अंतिम स्कूल / संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
   (द) चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।
   (य) चल–अचल सम्पत्ति का विवरण।

यदि श्री प्रभात कुमार को उक्त शर्तें मान्य हों तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, देहरादून में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 566(1) / सू.एवं.लो.सं.वि.(प्रशा.)–39 / 2001, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी को जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी के माध्यम से।
3. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि कार्यभाग ग्रहण कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर तद्संबंधी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री प्रभात कुमार, पुत्र स्व. मदमहेश्वर प्रसाद शुक्ला, ग्राम–फेगू, पो.ओ. नागजगई, जिला–रूद्रपयाग।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु

3/7/21

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 515 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34 / 2007 दिनांक : 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री भुवन चन्द्र जोशी को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–10, वेतनमान ₹ 56100–177500, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री भुवन चन्द्र जोशी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 518 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31 / 2011, तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34/2007 दिनांक : 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, श्री जगदीश सिंह पटवाल को, नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8, वेतनमान ₹ 47600–151100, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री जगदीश सिंह पटवाल को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 516 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31/2011, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971/फैक्स : 2662334

पत्रांक : 517/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34/2007 दिनांक : 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रधान सहायक, श्री गोपाल राम को, नियमित चयनोपरान्त प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7, वेतनमान ₹ 44900–142400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं ज़न सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री गोपाल राम को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 517 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31/2011, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखाएं।
4. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित कार्मिकों को।
6. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

संख्या 1 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस)08 / 2008

देहरादून, दिनांक 05 जून, 2021

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्याः 630 / XXII / 2012–53 (सूचना)2002 दिनांक 31 अगस्त, 2012 तथा संशोधित शासनादेश संख्या 163 / XXII(2) / 2015–53 (सूचना) 2002 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता नियमावली में निहित व्यवस्था के अनुसार पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून की मुख्य शाखा में संचालित विभागीय खाता संख्या 30358997399 में सावधि रूप में जमा मूल धनराशि केअर्जित ब्याज से आवेदक के नाम के सम्मुख इंगित धनराशि की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. श्रीमती शमा खान पत्नी स्व. दानिश खान, 33 सी मुखानी भाग, मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, नैनीताल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
2. श्रीमती किरन दीक्षित पत्नी स्व. प्रशांत दीक्षित, सेंट क्लाउण्ड कंपाउड, स्नोव्यू, मल्ली ताल, नैनीताल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
3. श्रीमती बसंती आर्या पति स्व. हरीश चन्द्र, पत्रकार हंस निवास, मेलरोज कंपाउंड, मल्लीताल, नैनीताल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
4. श्रीमती पुष्पा संतोषी पत्नी स्व. रामअवतार संतोषी, कोरा देवी कलोनी, खंड़खड़ी, हरिद्वार (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
5. कु. राघवी जोशी. सुपुत्री स्व. आरती जोशी,मकान न. 567, प्लाट न. 3 / 08, बंजारावाला, देहरादूनको **2,50,000 / –**(रु. दो लाख पचास हजार मात्र) एवं कु. प्रकाम्या जोशी, सुपुत्री स्व. आरती जोशी को **2,50,000 / –**(रु. दो लाख पचास हजार मात्र)।
6. श्रीमती मधु लोहनी पत्नी स्व0 प्रकाश चन्द्र लोहनी, (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
7. श्रीमती संतोषी पत्नी स्व0 आशुतोष ममगांई, 254 वन विहार कालोनी,मेहूवाला, शिमला बाईपास, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
8. श्रीमती अनीता जोशी पत्नी स्व. राजेन्द्र जोशी,23 भागीरथी पुरम, दून विहार के पास, जाखन, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
9. श्रीमती लीला असनोड़ा पत्नी स्व. पुरुषोत्तम असनोड़ा, गैरसैंण, चमोली (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
10. श्रीमती हेमा जोशी पत्नी स्व. दीप जोशी, नरसिंहबाडी, अल्मोड़ा (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
11. श्रीमती जीता उप्रेती पत्नी स्व. दीपक चन्द्र उप्रेती, निकट शिव मंदिर, घंटाकरण पिथौरागढ़ (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
12. श्रीमती त्रिवेणी पाल, पत्नी स्व. श्याम स्वरुप पाल, निवासी–रम्पुरा वार्ड नं–21, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)
13. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व. धूमसिंह जखेड़ी, म.न.55, धनसाली, कफोल गांव, विकासखंड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
14. श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी स्व. अशोक कुमार गुप्ता, वार्ड. नं.08, तुलसीराम चौराह, टनकपुर, चम्पावत (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
15. श्रीमती गंगेश्वरी सेमवाल, पत्नी स्व. मनोहर लाल सेमवालमार्कण्डेय, लेन–03 मधुर विहार अजबपुर कला पो.अ बंजारावाला, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
16. श्रीमती दीपा बिष्ट पत्नी स्व. श्री भवान सिंह 66 राजीव नगर, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
17. श्रीमती कल्पना बिष्ट पत्नी स्व. प्रेम सिंह बिष्ट, मेन कारगी चौक, पो.ओ.बंजारावाला, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
18. श्री राकेश मित्तल पति स्व. सपना मित्तल 80, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।

उपरोक्तानुसार पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) से आर्थिक सहायता की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह सहायता संबंधित पत्रकार / उनके आश्रित को जीवनकाल में सिर्फ एक बार अनुमन्य है तथा भविष्य में पत्रकार कल्याण कोष से किसी भी प्रकार की सहायता पर विचार नही किया जायेगा।

यह स्वीकृति पत्रकार कल्याण कोष के संचालन हेतु गठित समिति की संस्तुति एवं समिति के अध्यक्ष / मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के क्रम में प्रदान की जा रही हैं।

(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 265 / सू.एवं.लो.सं.वि.(प्रेस) 08 / 2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रबन्धक, भारतीय स्टैट बैंक, मुख्य शाखा, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हुए इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।
5. समिति के मा0 सदस्यों को सूचनार्थ।

(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

संख्या 1/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस)08 / 2008

देहरादून, दिनांक 05 जून, 2021

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्याः 630 / XXII / 2012–53 (सूचना)2002 दिनांक 31 अगस्त, 2012 तथा संशोधित शासनादेश संख्या 163 / XXII(2) / 2015–53 (सूचना) 2002 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता नियमावली में निहित व्यवस्था के अनुसार पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून की मुख्य शाखा में संचालित विभागीय खाता संख्या 30358997399 में सावधि रूप में जमा मूल धनराशि केअर्जित ब्याज से आवेदक के नाम के सम्मुख इंगित धनराशि की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. श्रीमती शमा खान पत्नी स्व. दानिश खान, 33 सी मुखानी भाग, मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, नैनीताल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
2. श्रीमती किरन दीक्षित पत्नी स्व. प्रशांत दीक्षित, सेंट क्लाउण्ड कंपाउड, स्नोव्यू, मल्ली ताल, नैनीताल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
3. श्रीमती बसंती आर्या पति स्व. हरीश चन्द्र, पत्रकार हंस निवास, मेलरोज कंपाउंड, मल्लीताल, नैनीताल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
4. श्रीमती पुष्पा संतोषी पत्नी स्व. रामअवतार संतोषी, कोरा देवी कलोनी, खंड़खड़ी, हरिद्वार (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
5. कु. राघवी जोशी. सुपुत्री स्व. आरती जोशी,मकान न. 567, प्लाट न. 3 / 08, बंजारावाला, देहरादूनको **2,50,000 / –**(रु. दो लाख पचास हजार मात्र) एवं कु. प्रकाम्या जोशी, सुपुत्री स्व. आरती जोशी को **2,50,000 / –(रु. दो लाख पचास हजार मात्र)**।
6. श्रीमती मधु लोहनी पत्नी स्व0 प्रकाश चन्द्र लोहनी, (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
7. श्रीमती संतोषी पत्नी स्व0 आशुतोष ममगांई, 254 वन विहार कालोनी,मेहूवाला, शिमला बाईपास, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
8. श्रीमती अनीता जोशी पत्नी स्व. राजेन्द्र जोशी,23 भागीरथी पुरम, दून विहार के पास, जाखन, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
9. श्रीमती लीला असनोड़ा पत्नी स्व. पुरुषोत्तम असनोड़ा, गैरसैंण, चमोली (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
10. श्रीमती हेमा जोशी पत्नी स्व. दीप जोशी, नरसिंहबाडी, अल्मोड़ा (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
11. श्रीमती जीता उप्रेती पत्नी स्व. दीपक चन्द्र उप्रेती, निकट शिव मंदिर, घंटाकरण पिथौरागढ़ (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
12. श्रीमती त्रिवेणी पाल, पत्नी स्व. श्याम स्वरुप पाल, निवासी–रम्पुरा वार्ड नं–21, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)
13. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व. धूमसिंह जखेड़ी, म.न.55, धनसाली, कफोल गांव, विकासखंड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
14. श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी स्व. अशोक कुमार गुप्ता, वार्ड. नं.08, तुलसीराम चौराह, टनकपुर, चम्पावत (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
15. श्रीमती गंगेश्वरी सेमवाल, पत्नी स्व. मनोहर लाल सेमवालमार्कण्डेय, लेन–03 मधुर विहार अजबपुर कला पो.अ बंजारावाला, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
16. श्रीमती दीपा बिष्ट पत्नी स्व. श्री भवान सिंह 66 राजीव नगर, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
17. श्रीमती कल्पना बिष्ट पत्नी स्व. प्रेम सिंह बिष्ट, मेन कारगी चौक, पो.ओ.बंजारावाला, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।
18. श्री राकेश मित्तल पति स्व. सपना मित्तल 80, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून (मृतक आश्रित) **₹5,00,000.00** (रुपये पांच लाख मात्र)।

उपरोक्तानुसार पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) से आर्थिक सहायता की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह सहायता संबंधित पत्रकार / उनके आश्रित को जीवनकाल में सिर्फ एक बार अनुमन्य है तथा भविष्य में पत्रकार कल्याण कोष से किसी भी प्रकार की सहायता पर विचार नही किया जायेगा।

यह स्वीकृति पत्रकार कल्याण कोष के संचालन हेतु गठित समिति की संस्तुति एवं समिति के अध्यक्ष / मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के क्रम में प्रदान की जा रही हैं।

(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 264 / सू.एवं.लो.सं.वि.(प्रेस) 08 / 2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रबन्धक, भारतीय स्टैट बैंक, मुख्य शाखा, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हुए इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।
5. समिति के मा0 सदस्यों को सूचनार्थ।

(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 515 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34 / 2007 दिनांक : 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री भुवन चन्द्र जोशी को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–10, वेतनमान ₹ 56100–177500, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री भुवन चन्द्र जोशी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 518 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31 / 2011, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34/2007 दिनांक : / 6 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, श्री जगदीश सिंह पटवाल को, नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8, वेतनमान ₹ 47600–151100, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री जगदीश सिंह पटवाल को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 516 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31/2011, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 517 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34 / 2007 दिनांक : 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रधान सहायक, श्री गोपाल राम को, नियमित चयनोपरान्त प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7, वेतनमान ₹ 44900–142400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं ज़न सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री गोपाल राम को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 517 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31 / 2011, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखाएं।
4. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित कार्मिकों को।
6. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 488/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक: 02 जून, 2021

कार्यालय आदेश

कार्य आंवटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिकमित करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है:–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	डॉ. अनिल चन्दोला अपर निदेशक	कार्यालयाध्यक्ष का समस्त कार्य।
2.	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक	1. मुख्य सचिव महोदय के प्रचार–प्रसार के पर्यवेक्षण का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3.	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक	1. सूचना अधिकार से संबंधित अपीलीय अधिकारी का कार्य। 2. मुख्यालय तथा क्षेत्र प्रचार के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य। 3. प्रकाशन प्रभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य। 4. इलैक्ट्रानिक मीडिया की सूचीबद्धता/विज्ञापन प्रस्ताव एवं स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आर.ओ. जारी करने का कार्य। 5. इलेक्ट्रानिक चैनलों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य। 6. व्यवस्था शाखा से संबंधित समस्त कार्य। 7. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3.	श्रीमती शशि सिंह वरिष्ठ वित्त अधिकारी	1. विभाग के आय–व्ययक संबंधी समस्त कार्य। 2. विभाग के आडिट/भुगतान/आयकर संबंधी समस्त कार्य। 3. विभागीय निविदा तथा कार्य एवं व्यय की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों के परीक्षण एवं अग्रसारण का कार्य। 4. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
4.	श्री के. एस. चौहान, उपनिदेशक	1. राष्ट्रीय समारोह से संबंधित समस्त कार्य। 2. होर्डिंग एवं आऊटडोर मीडिया से संबंधित समस्त कार्य। 3. गीत एवं नाट्य से संबंधित समस्त कार्य। 4. प्रिंट मीडिया की सूचीबद्धता से संबंधित समस्त कार्य। 5. प्रिंट मीडिया हेतु वर्गीकृत विज्ञापन/सजावटी विज्ञापनों के प्रस्ताव तैयार करने तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आर.ओ. जारी करने से संबंधित समस्त कार्य। 6. उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष का कार्य। 7. विभागीय लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित समस्त कार्य। 8. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद से संबंधित समस्त कार्य। 9. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
5.	श्री नितिन उपाध्याय उपनिदेशक	1. मुख्यालय के आहरण–वितरण अधिकारी का कार्य। 2. विज्ञापन फिल्मों का निर्माण एवं भुगतान से संबंधित प्रस्ताव तथा स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी करने का समस्त कार्य। 3. रेडियो, एसएमएस, व्हाट्सएप, वॉयस कॉल इंटरैक्टिव वीडियो टेक्नोलॉजी, विभागीय स्टूडियो, विभागीय वेबसाइट से संबंधित कार्य/विज्ञापन आदेश स्वीकृत प्राप्त कर कार्यादेश देने सहित समस्त कार्य। 4. इलैक्ट्रानिक चैनलों से संबंधित समस्त कार्य। (पत्रावली संयुक्त निदेशक श्री त्रिपाठी के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी) 5. सोशल मीडिया कार्य हेतु विभाग से अनुबंधित फर्म से सबंधित समस्त कार्य, डीएवीपी में सूचीबद्ध पोर्टलों हेतु विज्ञापनादेश/प्रस्ताव एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्यादेश निर्गत करने का कार्य, सोशल मीडिया प्रभाग से संबंधित अन्य कार्य। (जो किसी अन्य को आवंटित न हो) 6. प्रेस प्रभाग से संबंधित समस्त कार्य। 7. कोविड–19 से संबंधित विभागीय नोडल अधिकारी का कार्य। 8. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

6.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक	1. राज्य सरकार के प्रवक्ता के साथ सम्बद्ध रहते हुए प्रचार–प्रसार से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेंटर, विधान सभा। 3. विधान सभा सत्र की अवधि में नोडल अधिकारी का कार्य। 4. नोडल अधिकारी कुम्भ मेला से संबंधित समस्त कार्य। 5. आपदा प्रबन्धन विभाग हेतु विभागीय नोडल अधिकारी का कार्य। 6. निरीक्षा शाखा से संबंधित समस्त कार्य। 7. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
7.	श्री रवि बिजारनियाँ, सहायक निदेशक	1. मीडिया सेन्टर सचिवालय/मा.मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रभारी अधिकारी मीडिया सेन्टर सचिवालय/मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट। 3. विभाग में सूचीबद्ध किये जाने वाले न्यूज पोर्टलों की सूचीबद्धता/विज्ञापन प्रस्ताव/भुगतान की स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी करने एवं उनकी निरीक्षा का समस्त कार्य। 4. फोटो/फिल्म शाखा से संबंधित समस्त कार्य। (जो अन्य किसी को आवंटित नहीं है) 5. निर्वाचन एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संबंधित नोडल अधिकारी का कार्य। 6. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
8.	श्री शंकर दत्त लोहनी सहायक निदेशक	1. व्यवस्था शाखा तथा सामान्य स्टोर से संबंधित समस्त कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
9.	श्री गोपाल सिंह राणा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1. इलैक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया तथा गीत–नाट्य प्रभाग से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
10.	श्री चन्द्र सिंह तोमर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1. विज्ञापन (प्रिंट मीडिया) प्रभाग तथा फिल्म विकास परिषद से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
11.	श्री मोहन सिंह स्यूनरी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1. निरीक्षा शाखा तथा निकासी शाखा से संबंधित समस्त कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

उपरोक्त अधिकारियों द्वारा विभागीय निविदा, कार्य एवं व्यय की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ वरिष्ठ वित्त अधिकारी तथा अन्य कार्यों से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ अपर निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जायेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः ५४९ (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित अधिकारी।
4. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018 दिनांक 1 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 30/XXX-2/2018–30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 के प्रस्तर–10(1) तथा उक्त शासनादेश के साथ संलग्न 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्याः–01, वर्ष 2018)' की धारा–16 के अनुसार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत, विभागीय कार्मिकों के वार्षिक स्थनान्तरण हेतु निम्नानुसार स्थायी स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है:–

1. श्री रणवीर सिंह चौहान, महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड — अध्यक्ष
2. डॉ. अनिल चन्दोला, अपर निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड — सदस्य
3. श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड — सदस्य
4. श्री के.एस.चौहान, उपनिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड — सदस्य
5. श्रीमती शैली डबराल, उपनिदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून — सदस्य

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्याः 378 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05/2018, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. संबंधित विभागीय अधिकारी।
5. श्रीमती शैली डबराल, उपनिदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून। (पंजीकृत डाक द्वारा)
6. समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
7. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. प्रभारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
9. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. नोटिस बोर्ड हेतु।
11. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक :376/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05 / 2018

दिनांक 31 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या: 30 / XXX-2 / 2018–30(13) / 2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 के प्रस्तर–2(4) तथा उक्त शासनादेश के साथ संलग्न 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या:–01, वर्ष 2018)' की धारा–5 के अनुसार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत, विभागीय कार्मिकों के वार्षिक स्थनान्तरण हेतु निम्नानुसार सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हांकन एवं प्रकटकरण किया जाता है:–

सुगम कार्यस्थल

1. निदेशालय, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,
2. जिला सूचना कार्यालय, देहरादून,
3. जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार,
4. जिला सूचना कार्यालय, टिहरी,
5. जिला सूचना कार्यालय, उधमसिंह नगर,
6. जिला सूचना कार्यालय, नैनीताल,
7. जिला सूचना कार्यलय, अल्मोड़ा,
8. मीडिया सेन्टर, हल्द्वानी नैनीताल तथा
9. उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।

दुर्गम कार्यस्थल

1. जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़,
2. जिला सूचना कार्यालय, चम्पावल,
3. जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर,
4. जिला सूचना कार्यालय, चमोली,
5. जिला सूचना कार्यालय, रूद्रप्रयाग,
6. जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी तथा
7. जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी।

(रणबीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या: 376 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05 / 2018, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागीय अधिकारी / कर्मचारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
5. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. प्रभारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
7. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. नोटिस बोर्ड हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 22 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

कार्य आंवटन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता हैः–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	डॉ. अनिल चन्दोला अपर निदेशक	कार्यालयाध्यक्ष का समस्त कार्य।
2.	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक	1. इलेक्ट्रानिक मीडिया की सूचीबद्धता, विज्ञापन प्रस्ताव से संबंधित समस्त कार्य। 2. इलेक्ट्रानिक मीडिया के विज्ञापनों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आर.ओ. जारी करने का कार्य। 3. विज्ञापन फिल्मों का निर्माण एवं भुगतान से संबंधित पत्रावलियॉ तैयार कराने का कार्य। 4. इलेक्ट्रानिक मीडिया की निरीक्षा एवं पर्यवेक्षण से संबंधित समस्त कार्य। (प्रत्येक दिन पर्यवेक्षण आख्या महानिदेशक, सूचना को उपलब्ध करायेंगे) 5. सूचना अधिकार से संबंधित अपीलीय अधिकारी का कार्य। 6. मुख्य सचिव, महोदय के प्रचार–प्रसार के पर्यवेक्षण का कार्य। 7. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
3.	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी संयुक्त निदेशक	1. मुख्यालय तथा क्षेत्र प्रचार के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य। 2. होर्डिंग्स/आउटडोर से संबंधित समस्त कार्य। 3. एस.एम.एस.,वॉईस कॉल, रेडियो, विभागीय स्टूडियो तथा इंटरेक्शन वीडियो टैक्नोलॉजी से संबंधित समस्त कार्य। 4. प्रकाशन प्रभाग से संबंधित समस्त कार्य। 5. फोटो–फिल्म से संबंधित समस्त कार्य। 6. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
4.	श्रीमती शशि सिंह वरिष्ठ वित्त अधिकारी	1. विभाग के आय–व्ययक संबंधी समस्त कार्य। 2. विभाग के आडिट/भुतान/आयकर संबंधी समस्त कार्य। 3. विभागीय निविदा तथा कार्य एवं व्यय की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों के परीक्षण एवं अग्रसारण का कार्य। 4. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
5.	श्री के. एस. चौहान उपनिदेशक	1. राष्ट्रीय समारोह से संबंधित समस्त कार्य। 2. वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने संबंधी समस्त कार्य। 3. गीत एवं नाट्य प्रभाग से संबंधित समस्त कार्य। 4. प्रिंट मीडिया की निरीक्षा एवं पर्यवेक्षण से संबंधित समस्त कार्य। (प्रत्येक दिन पर्यवेक्षण आख्या महानिदेशक, सूचना को उपलब्ध करायेंगे) 5. प्रिंट मीडिया की सूचीबद्धता/सजावटी विज्ञापनों के प्रस्ताव तैयार करने तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आर.ओ. जारी करने से संबंधित समस्त कार्य। 6. उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष का कार्य। 7. विभागीय लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित समस्त कार्य। 8. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद से संबंधित समस्त कार्य। 9. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
6.	श्री नितिन उपाध्याय उपनिदेशक	1. सूचना परिसर राजभवन से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रभारी अधिकारी, सूचना परिसर राजभवन। 3. विभाग के आहरण–वितरण अधिकारी का कार्य। 4. प्रेस प्रभाग से संबंधित समस्त कार्य। 5. कोविड–19, वैक्सीनेशन अभियान तथा कोविड–19 आई.इ.सी. के नोडल अधिकारी का कार्य। 6. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

7.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, **सहायक निदेशक**	1. राज्य सरकार के प्रवक्ता/मा. मंत्री, उत्तराखण्ड, श्री मदन कौशिक जी के साथ सम्बद्ध रहते हुए प्रचार–प्रसार से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेंटर, विधान सभा। 3. विधान सभा सत्र की अवधि में नोडल अधिकारी का कार्य। 4. नोडल अधिकारी, कुम्भ मेला से संबंधित समस्त कार्य। 5. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
8.	श्री रवि बिजारनियाँ, **सहायक निदेशक**	1. मीडिया सेन्टर सचिवालय/मा.मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट से संबंधित समस्त कार्य। 2. प्रभारी अधिकारी मीडिया सेन्टर सचिवालय/मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट। 3. सोशल मीडिया (फेसबुक एवं वट्सअप, ट्वीटर (Twitter)) तथा विभागीय वेबसाइट तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्त कार्य। 4. न्यूज पोर्टल की सूचीबद्धता से संबंधित कार्य। 5. सोशल मीडिया की निरीक्षा एवं पर्यवेक्षण से संबंधित समस्त कार्य। (प्रत्येक दिन पर्यवेक्षण आख्या महानिदेशक, सूचना को उपलब्ध करायेंगे) 6. वेबसाइट्स पर विज्ञापन निर्गत कराने संबंधी कार्य। 7. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
9.	श्री शंकर दत्त लोहनी **सहायक निदेशक**	1. व्यवस्था शाखा तथा सामान्य स्टोर से संबंधित समस्त कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
10.	श्री गोपाल सिंह राणा **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**	1. इलैक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया तथा गीत–नाट्य प्रभाग से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
11.	श्री चन्द्र सिंह तोमर **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**	1. विज्ञापन (प्रिंट मीडिया) प्रभाग से संबंधित समस्त पत्रावलियों का परीक्षण कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
12.	श्री मोहन सिंह स्यूनरी **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**	1. निरीक्षा शाखा तथा निकासी शाखा से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने का कार्य। 2. समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

उपरोक्त अधिकारियों द्वारा विभागीय निविदा, कार्य एवं व्यय की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित समस्त पत्रावलियां वरिष्ठ वित्त अधिकारी तथा अन्य कार्यो से संबंधित समस्त पत्रावलियां अपर निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 72 (1)/सू.एवलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
3. संबंधित अधिकारी।
4. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक